छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी, 2011
(फाल्गुन-5, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित एवं 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने प्रदेश में वनौषधि बोर्ड में व्याप्त अनियमितता की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री नंदकुमार पटेल, डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने जिला रायगढ़ व जशपुर के मजदूरों को प्रदेश के बाहर ठेकेदारों द्वारा बंधक बनाये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री चंद्रशेखर साहू, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री महंत रामसुंदर दास

(2) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह

(3) श्री भजन सिंह निरंकारी

(4) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर

(5) श्री हृदय राम राठिया

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सेवकराम नेताम, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 2011 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 12)	श्री महंत रामसुंदर दास	1 घंटा
2. (क्रमांक - 20)	श्री भीमा मंडावी	1 घंटा
3. (क्रमांक - 02)	डॉ.हरिदास भारद्वाज	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गयीं :-

(1) श्री परेश बागबाहरा

(2) श्री दूजराम बौद्ध

(3) डॉ.हरिदास भारद्वाज

7.महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमशः)

श्रीमती सुमित्रा मारकोले,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स, लेखराम साहू, दूजराम बौद्ध, अग्नि चंद्राकर, महंत रामसुंदर दास, कुलदीप सिंह जुनेजा, मोहम्मद अकबर,

(डॉ.शिवकुमार डहरिया (अनुपस्थित))

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी ने अनुरोध किया है कि वे दो मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं। यद्यपि माननीय सदस्यों को सभा में जब उनका नाम पुकारा जाए, उपस्थित रहना चाहिए लेकिन उनके आग्रह पर विचार कर उन्हें मैं अनुमति देता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण प्रारंभ करें उसके पूर्व दो मिनट में डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य अपनी बात रखेंगे।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय मुख्यमंत्री का भाषण समाप्त होने एवं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों पर सभा का मत लेने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 5.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 25 फरवरी, 2011 (फाल्गुन 6, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा